राज्यांश

केन्द्र प्रायोजित योजना

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 322

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक –09/03/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में तृतीय अनुपूरक के आगणन से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्यांश मद में ₹33,00,00,000 (तेतीस करोड़ रू0) मात्र राशि की अतिरिक्त विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

2–वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका एवं Single Nodal Agency (SNA) से संबंधित भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्यांश मद में कुल ₹33,00,00,000 (तेतीस करोड़ रू0) मात्र की अतिरिक्त स्वीकृति दी जाती है। इस स्वीकृत राशि के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

3–**राज्यांश मद** के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0319–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विषय शीर्ष–0319.34.01 छात्रवृत्ति वजीफा– विपत्र कोड सं0–44–2225012770319'' पी0एफ0 एम0एस0 कोड–2063 के तहत् विकलनीय होगा।

4–वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक–23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में राशि का व्यय Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agency (IA) के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

5–इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, Implementing Agency (IA) के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राशि की निकासी कर Single Nodal Agency (SNA) के बैंक खाता सं0–40327754529, IFSC-SBIN0000153 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंचाई भवन, पटना में संधारित करेगें।

6–Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी समय–समय पर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संकल्प सख्यां–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

7– प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

8–इस स्वीकृति के आलोक में शिक्षा विभाग, छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

9–इस राशि की स्वीकृति हेतु पृ0 65/टि0 पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10–इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.03.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021–322 पटना, दिनांक– 09/03/2026

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021–322 पटना, दिनांक– 09/03/2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.03.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021–322 पटना, दिनांक– 09/03/2026

प्रतिलिपिः–निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0–5(निदे0)/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

06.03.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021–322 पटना, दिनांक– 09/03/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

06.03.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 322 पटना, दिनांक– 09/03/2026

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

06.03.26

सरकार के सचिव।